Undertrial detention under section 479 of the BNSS,2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, *2023* की धारा *479* के अंतर्गत विचाराधीन बंदियों की हिरासत: व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जेल सुधार का समालोचनात्मक अध्ययन

[1]Vikrant Arya, [2]Roshani Pandey
[1]LLM 2nd Year – 3rd SEM, [2]Professor
[12]Law and Legal Studies
[12]Sage University

सारांश—विचाराधीन बंदियों की लंबी हिरासत राज्य की अपराध-जाँच और अभियोजन संबंधी शक्तियों तथा व्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता के बीच एक गंभीर तनाव उत्पन्न करती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, **2023 (BNSS)** की धारा **479**, दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** की धारा **436A** के स्थान पर, ऐसे बंदी की रिहाई का वैधानिक आधार देती है जिसने संबंधित अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की आधी अवधि हिरासत में पूरी कर ली हो; पहली बार अपराध के आरोप का सामना कर रहे व्यक्ति के लिए एक-तिहाई अवधि का प्रावधान है। जेल अधीक्षक को पात्रता की अवधि पूरी होने पर न्यायालय में आवेदन करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। यह शोध-पत्र जाँचता है कि क्या धारा **479** अत्यधिक पूर्व-विचारण हिरासत के विरुद्ध प्रभावी सुरक्षा बन सकती है, या इसके अपवाद और क्रियान्वयन की बाधाएँ इसकी उपयोगिता सीमित करती हैं। शोध में विधिक-डॉक्ट्रिनल पद्धति अपनाकर संविधान के अनुच्छेद **14** और **21**, तथा **Hussainara Khatoon, Moti Ram, Union of India v K.A. Najeeb, Satender Kumar Antil** और **Mohd Muslim** जैसे निर्णयों का विश्लेषण किया गया है। लेख यह भी देखता है कि **1** जुलाई **2024** से पहले दर्ज लंबित मामलों पर धारा **479** लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और **Undertrial Review Committees** की क्या भूमिका है। निष्कर्ष यह है कि धारा **479** महत्वपूर्ण अधिकार-संरक्षक प्रावधान है, लेकिन अपने-आप लागू होकर सभी समस्याएँ दूर नहीं करती। अनेक लंबित मामलों पर रोक, मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों का अपवर्जन, कमजोर अभिलेख-प्रबंधन, गरीबी और समय पर विधिक सहायता का अभाव इसके लाभ को सीमित कर सकते हैं। शोध में समयबद्ध डिजिटल समीक्षा, कारणयुक्त न्यायिक आदेश, विधिक सहायता और पारदर्शी आँकड़ों की व्यवस्था सुझाई गई है।

मुख्य शब्द—**BNSS 2023**, धारा **479**, विचाराधीन बंदी, अनुच्छेद **21**, जमानत, शीघ्र विचारण, जेल सुधार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता।

I. परिचय

यह समस्या केवल जेलों में भीड़ का प्रश्न नहीं है। जब कोई व्यक्ति दोषसिद्धि से पहले महीनों या वर्षों तक बंद रहता है, तो उसकी आजीविका, परिवार, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। गरीब आरोपी के लिए जमानत की शर्तें पूरी करना कठिन हो सकता है, भले ही उसे कानूनन रिहाई का अवसर उपलब्ध हो। इसलिए विचाराधीन हिरासत का मूल्यांकन संवैधानिक स्वतंत्रता, निष्पक्ष प्रक्रिया और न्याय तक समान पहुँच के संदर्भ में होना चाहिए।

धारा 479 इस समस्या के एक स्पष्ट मानक—अधिकतम संभावित कारावास की तुलना में हिरासत की अवधि—को संबोधित करती है। लेकिन यह जमानत के पूरे कानून का विकल्प नहीं है। विशेष कानूनों के प्रतिबंध, अनेक लंबित मामलों की स्थिति, आरोप की प्रकृति और रिहाई की व्यावहारिक शर्तें परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं। इस शोध का केंद्रीय तर्क है कि प्रावधान की वास्तविक सफलता उसके पाठ से अधिक उसके सक्रिय और समान क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।

II. शोध समस्या, अंतराल और प्रश्न

2.1 शोध समस्या

मुख्य शोध समस्या वैधानिक पात्रता और वास्तविक रिहाई के बीच का अंतर है। पात्र व्यक्ति की अवधि की गणना, अधिकतम सजा की सही पहचान, अन्य लंबित मामलों की जाँच, न्यायालय में आवेदन और बंधपत्र की व्यवस्था—इनमें से किसी भी चरण में चूक होने पर धारा 479 का लाभ निष्प्रभावी हो सकता है।

2.2 शोध-अंतराल

पूर्ववर्ती साहित्य में धारा 436A CrPC, सामान्य जमानत सिद्धांत और जेलों में भीड़ पर चर्चा मिलती है। BNSS के बाद विशेष रूप से पहली बार अपराध का सामना करने वालों के लिए एक-तिहाई सीमा, अनेक मामलों पर धारा 479(2) की रोक, और जेल अधीक्षक की पहल संबंधी धारा 479(3) का संयुक्त प्रभाव अलग अध्ययन की माँग करता है। पात्र बंदियों की पहचान और आवेदन-निपटान के पारदर्शी आँकड़ों की कमी भी संस्थागत शोध का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।

2.3 शोध प्रश्न

- क्या धारा 479 लंबी विचाराधीन हिरासत के विरुद्ध प्रभावी संवैधानिक सुरक्षा देती है?
- इसके अपवाद और अनेक मामलों की रोक समानता तथा स्वतंत्रता तक पहुँच को कैसे प्रभावित करते हैं?
- प्रावधान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जेल प्रशासन, UTRC, विधिक सेवा प्राधिकरण और न्यायालयों की क्या भूमिका होनी चाहिए?

III. उद्देश्य एवं परिकल्पना

शोध के उद्देश्य हैं: धारा 479 की संवैधानिक व्याख्या करना; पुराने प्रावधान से तुलना करना; शीघ्र विचारण और जमानत संबंधी न्यायिक सिद्धांतों का परीक्षण करना; क्रियान्वयन की कानूनी व प्रशासनिक बाधाओं की पहचान करना; और अधिकार-आधारित सुधार सुझाना।

परिकल्पना: धारा 479 रिहाई का वैधानिक ढाँचा मजबूत करती है, लेकिन सक्रिय समीक्षा, समन्वित अभिलेख, समय पर विधिक सहायता और त्वरित कारणयुक्त आदेश के बिना इसका प्रभाव सीमित रहेगा। यह परिकल्पना आगे अनुभवजन्य आँकड़ों द्वारा जाँची जानी चाहिए।

IV. शोध पद्धति

इस शोध में doctrinal legal research पद्धति अपनाई गई है। प्राथमिक स्रोतों में संविधान, BNSS, पूर्व CrPC और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय शामिल हैं। सरकारी परिपत्रों तथा जेल-संबंधी आधिकारिक आँकड़ों को सहायक स्रोत के रूप में लिया गया है। यह लेख साक्षात्कार या जेल-स्तरीय सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है; इसलिए प्रशासनिक समस्याओं को अनुभवजन्य निष्कर्ष बताने के बजाय वैधानिक और संस्थागत जोखिम के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

V. वैधानिक ढाँचा

5.1 मुख्य नियम

धारा 479(1) उन अपराधों पर लागू होती है जिनमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास निर्धारित दंडों में शामिल नहीं है। सामान्यतः अधिकतम कारावास की आधी अवधि पूरी होने पर जमानत पर रिहाई का प्रावधान है। पहली बार अपराध का सामना कर रहे व्यक्ति, जिसे धारा में पहले कभी दोषसिद्ध न हुआ व्यक्ति कहा गया है, को एक-तिहाई अवधि पूरी होने पर बंधपत्र पर छोड़े जाने का प्रावधान है।

5.2 परंतुक और अपवाद

दूसरे परंतुक के तहत लोक अभियोजक को सुनने और लिखित कारण दर्ज करने के बाद न्यायालय आधी अवधि के बाद भी हिरासत जारी रखने का आदेश दे सकता है या व्यक्तिगत बंधपत्र के बजाय जमानत बंधपत्र माँग सकता है। तीसरा परंतुक कहता है कि विचारण-पूर्व हिरासत अधिकतम निर्धारित कारावास से आगे नहीं जा सकती। आरोपी के कारण हुई कार्यवाही-विलंब की अवधि गणना से बाहर रखी जाती है।

5.3 अनेक मामले

धारा 479(2) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध एक से अधिक अपराध या अनेक मामलों में जाँच, पूछताछ या विचारण लंबित है, तो उपधारा (1) के तीसरे परंतुक के अधीन रहते हुए उसे इस धारा के तहत रिहा नहीं किया जाएगा। इसका परिणाम यह हो सकता है कि एक मामले में आवश्यक अवधि पूरी होने के बावजूद दूसरे लंबित मामले के कारण रिहाई न मिले। इसलिए इस रोक के अनुपातिक प्रभाव पर संवैधानिक दृष्टि से विचार आवश्यक है।

5.4 जेल अधीक्षक का दायित्व

धारा 479(3) जेल अधीक्षक को निर्देश देती है कि एक-तिहाई या आधी अवधि पूरी होने पर तुरंत न्यायालय में लिखित आवेदन करे। यह उस व्यवस्था से महत्त्वपूर्ण बदलाव है जिसमें बंदी को स्वयं कानून जानकर आवेदन करना पड़ता था। लेकिन इस दायित्व को पूरा करने के लिए गिरफ्तारी की सही तारीख, प्रत्येक मामले की अवधि, अधिकतम सजा और अन्य लंबित मामलों के सत्यापित अभिलेख आवश्यक हैं।

5.5 धारा 436A CrPC से संबंध

धारा 479, धारा 436A CrPC की उत्तराधिकारी व्यवस्था है। आधी अधिकतम सजा की सीमा और अनावश्यक लंबी हिरासत से बचाव का सिद्धांत बना रहता है। प्रमुख बदलाव पहली बार अपराध का सामना करने वालों के लिए एक-तिहाई सीमा और जेल अधीक्षक की आवेदन संबंधी जिम्मेदारी है। अनेक लंबित मामलों पर स्पष्ट रोक भी महत्वपूर्ण है।

VI. संवैधानिक विश्लेषण

6.1 अनुच्छेद 21 और आनुपातिकता

अनुच्छेद 21 की कसौटी केवल यह नहीं है कि हिरासत किसी कानून के अंतर्गत अधिकृत है। Maneka Gandhi के अनुसार प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। हिरासत का संबंध वैध उद्देश्य से होना चाहिए, जैसे

फरार होने का जोखिम या साक्ष्यों से छेड़छाड़ रोकना; उसे दंड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। धारा 479 हिरासत की अवधि को अधिकतम सजा से जोड़कर समीक्षा का एक निश्चित बिंदु प्रदान करती है।

6.2 अनुच्छेद 14 और असमान व्यावहारिक पहुँच

कानून का पाठ समान होने पर भी उसका लाभ असमान हो सकता है, क्योंकि कानूनी प्रतिनिधित्व, दस्तावेज़ और जमानतदार जुटाने की क्षमता सभी के पास समान नहीं है। गरीब आरोपी को पात्रता का पता न हो या वह बंधपत्र की शर्त पूरी न कर पाए। जेल अधीक्षक की जिम्मेदारी इस असमानता को कम कर सकती है, बशर्ते उसका समान रूप से पालन हो।

6.3 निर्दोषता की धारणा

विचारण-पूर्व हिरासत दंडात्मक नहीं, बल्कि प्रक्रिया-संबंधी और निवारक होनी चाहिए। केवल आरोप लगने को खतरनाकता का प्रमाण मानना निर्दोषता की धारणा के विपरीत है। दूसरी ओर, राज्य विशिष्ट तथ्यों के आधार पर जोखिम दिखा सकता है। समाधान न तो हर मामले में स्वतः रिहाई है और न हर मामले में स्वतः इनकार, बल्कि व्यक्तिगत परिस्थितियों पर आधारित कारणयुक्त निर्णय है।

VII. न्यायिक निर्णय

7.1 हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1979-80)

Hussainara Khatoon मुकदमों में बिहार के ऐसे विचाराधीन बंदियों की स्थिति सामने आई जो संभावित सजा के बराबर या उससे अधिक अवधि जेल में बिता चुके थे। सर्वोच्च न्यायालय ने शीघ्र विचारण को अनुच्छेद 21 का आवश्यक अंग माना। यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है: जब स्वतंत्रता दाँव पर हो, तब न्यायिक विलंब को साधारण प्रशासनिक समस्या नहीं माना जा सकता।

7.2 मोती राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1978)

Moti Ram v State of Madhya Pradesh में सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यधिक और कठोर जमानत शर्तों के विरुद्ध चेतावनी दी, विशेषकर ऐसी जमानत राशि या जमानतदार की शर्तें जो गरीब आरोपी की पहुँच से बाहर हों। धारा 479 के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को भी यदि असंभव शर्तें दी जाएँ तो रिहाई का अधिकार केवल कागज़ी रह जाएगा।

7.3 मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)

Maneka Gandhi का निर्णय स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया के लिए निष्पक्षता, न्यायसंगतता और तर्कसंगतता की माँग करता है। पात्र बंदी की पहचान न करना या आवेदन में अनुचित विलंब करना मनमानी की समस्या पैदा कर सकता है।

7.4 सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2022)

Satender Kumar Antil ने गिरफ्तारी और जमानत के क्षेत्र में वैधानिक सुरक्षा उपायों के पालन और अनावश्यक गिरफ्तारी से बचने पर जोर दिया। इसका व्यापक संदेश है कि जहाँ कम कठोर उपायों से जाँच और विचारण में उपस्थिति सुनिश्चित हो सकती है, वहाँ हिरासत को नियमित विकल्प नहीं बनाया जाना चाहिए।

7.5 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021)

Union of India v K.A. Najeeb में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कठोर विशेष कानूनों के संदर्भ में भी लंबी हिरासत और समय पर विचारण की असंभावना अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक न्यायालयों को जमानत देने का आधार दे सकती है। यह निर्णय दर्शाता है कि धारा 479 ही राहत का एकमात्र रास्ता नहीं है।

7.6 मोहम्मद मुस्लिम उर्फ हुसैन बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) (2023)

Mohd Muslim @ Hussain v State (NCT of Delhi) में सर्वोच्च न्यायालय ने लंबी हिरासत, विचारण में संभावित विलंब और शीघ्र विचारण के संवैधानिक महत्त्व पर बल दिया। यह निर्णय बताता है कि केवल आरोप की गंभीरता नहीं, बल्कि मुकदमे की वास्तविक प्रगति भी प्रासंगिक है।

7.7 धारा 479 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, 2024

In Re: Inhuman Conditions in 1382 Prisons में 23 अगस्त 2024 और 22 अक्टूबर 2024 के आदेशों ने स्पष्ट किया कि धारा 479 का लाभ 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों सहित लंबित मामलों के विचाराधीन बंदियों पर लागू होगा। न्यायालय ने जेल अधीक्षकों और UTRC को पात्र बंदियों की पहचान और आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। 22 अक्टूबर के आदेश ने कुछ राज्यों में पहचान प्रक्रिया की कमियों को भी दर्ज किया।

VIII. समालोचनात्मक विश्लेषण

8.1 महत्वपूर्ण, किंतु अपूर्ण सुरक्षा

पहली बार अपराध का सामना कर रहे व्यक्ति के लिए एक-तिहाई सीमा प्रगतिशील कदम है। जेल अधीक्षक पर आवेदन की जिम्मेदारी डालने से पात्रता पहचानने का भार केवल बंदी पर नहीं रहता। ये ऐसे सुधार हैं जो प्रक्रिया को अधिक सुलभ बना सकते हैं।

फिर भी, प्रावधान अपराध की श्रेणी पर निर्भर है। जहाँ मृत्युदंड या आजीवन कारावास संभावित दंडों में है, वहाँ सामान्य सीमा लागू नहीं होती। ऐसे मामलों में भी अनुच्छेद 21 और लागू जमानत कानून के तहत लंबी हिरासत की स्वतंत्र समीक्षा आवश्यक है; धारा 479 से बाहर होना अनिश्चितकालीन हिरासत की अनुमति नहीं है।

8.2 अनेक मामलों की रोक और आनुपातिकता

धारा 479(2) सबसे प्रभावशाली सीमाओं में से एक है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध एक गंभीर और एक अपेक्षाकृत छोटे मामले के लंबित होने पर, दूसरे मामले की मात्र मौजूदगी पहले मामले में प्राप्त पात्रता को निष्प्रभावी कर सकती है। उपस्थिति सुनिश्चित करने और पुनरावृत्ति रोकने जैसे राज्यहित को व्यक्तिगत शर्तों और न्यायिक समीक्षा से संबोधित किया जा सकता है।

8.3 अवधि-गणना की समस्याएँ

अधिकतम सजा की पहचान सही अपराध, लागू संशोधनों और विशेष कानून को देखकर करनी होगी। अलग-अलग आरोपों की अधिकतम सजा और हिरासत की तारीख अलग हो सकती है; आरोपी के कारण हुआ विलंब भी घटाना

होगा। मानकीकृत गणना-पत्र और पूर्ण अभिलेखों के अभाव में असंगत परिणाम संभव हैं। डिजिटल प्रणाली उपयोगी है, पर उसे जाँचने योग्य और मानवीय समीक्षा के अधीन होना चाहिए।

8.4 बंधपत्र और जमानत बंधपत्र

व्यक्तिगत बंधपत्र और जमानत बंधपत्र में अंतर व्यावहारिक महत्त्व रखता है। पात्र बंदी जमानतदार न मिलने या अत्यधिक राशि के कारण जेल में रह सकता है। न्यायालयों को जमानतदार की आवश्यकता के कारण दर्ज करने, व्यक्तिगत बंधपत्र पर विचार करने और विधिक सेवा प्राधिकरणों की मदद से दस्तावेज़ पूरे कराने चाहिए।

8.5 जेल सुधार और संस्थागत जवाबदेही

धारा 479 जमानत का प्रावधान होने के साथ जेल प्रशासन की जवाबदेही का तंत्र भी है। जेल प्रशासन को केवल बंदी रखने वाली संस्था न रहकर पात्रता पहचानने और प्रक्रिया शुरू करने वाली संस्था बनना चाहिए। UTRC को जेल, जिला न्यायपालिका, अभियोजन और विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच समन्वय करना चाहिए।

8.6 संख्यात्मक सीमा की सीमाएँ

आधी या एक-तिहाई अवधि की सीमा प्रशासनिक रूप से स्पष्ट है, लेकिन हर अन्यायपूर्ण हिरासत को नहीं पकड़ सकती। कम अवधि की हिरासत के बावजूद यदि विचारण वर्षों तक पूरा होने की संभावना न हो, तो सामान्य जमानत और अनुच्छेद 21 के उपाय उपलब्ध रहने चाहिए। यह सीमा व्यवस्थित समीक्षा का आधार है, संवैधानिक उचितता की पूरी परिभाषा नहीं।

IX. सुधार हेतु सुझाव

प्रमुख सुझाव हैं:

- प्रत्येक बंदी के लिए मामले-वार पात्रता-पत्र;
- सीमा पूरी होने से पहले डिजिटल चेतावनी और मानवीय सत्यापन;
- आवेदन व न्यायिक सुनवाई की समयसीमा; समय पर विधिक सहायता;
- UTRC के अनामित जिला-स्तरीय आँकड़े; अनेक मामलों में आनुपातिक समीक्षा;
- विशेष कानूनों के मामलों में भी अनुच्छेद 21 के तहत नियमित परीक्षण; तथा जेल, अभियोजन और न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण।

X. प्रमुख निष्कर्ष

पहला, धारा 479 अत्यधिक विचाराधीन हिरासत कम करने की महत्वपूर्ण विधायी कोशिश है। दूसरा, इसका प्रभाव सही अभिलेख और जेल अधीक्षक की सक्रिय भूमिका पर निर्भर है। तीसरा, अनेक लंबित मामलों की रोक इस विशेष वैधानिक रास्ते को सीमित कर सकती है। चौथा, 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर लाभ लागू होने की न्यायिक स्पष्टता महत्त्वपूर्ण है। पाँचवाँ, अनुच्छेद 14 और 21, शीघ्र विचारण का अधिकार तथा सामान्य जमानत सिद्धांत स्वतंत्र रूप से लागू रहते हैं।

XI. निष्कर्ष

धारा 479 BNSS लंबी विचाराधीन हिरासत को सामान्य मान लेने के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण वैधानिक सुरक्षा है। अधिकतम सजा से हिरासत की तुलना करना और जेल अधीक्षक को सक्रिय भूमिका देना इस विचार को स्वीकार करता है कि स्वतंत्रता केवल बंदी की कानूनी जानकारी या आर्थिक क्षमता पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। पहली बार अपराध का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए एक-तिहाई सीमा विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।

फिर भी, केवल कानून का पाठ पर्याप्त नहीं है। मृत्युदंड या आजीवन कारावास वाले अपराधों का अपवर्जन, अनेक मामलों पर रोक, गलत गणना, कमजोर अभिलेख, आवेदन में विलंब और कठिन जमानत शर्तें इसके प्रभाव को सीमित कर सकती हैं। अधिकार-आधारित क्रियान्वयन के लिए सही डेटा, सक्रिय UTRC, सुलभ विधिक सहायता, आनुपातिक शर्तें और कारणयुक्त न्यायिक आदेश आवश्यक हैं।

अंततः, धारा 479 को बंदी द्वारा माँगे जाने वाले लाभ के बजाय हिरासत की नियमित समीक्षा करने के लिए राज्य पर डाला गया न्यूनतम संस्थागत दायित्व समझना चाहिए। न्याय व्यवस्था की वैधता केवल अपराध की जाँच और दंड पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि दोष सिद्ध होने से पहले प्रक्रिया स्वयं दंड न बन जाए।

ग्रंथसूची

प्राथमिक विधिक स्रोत

[1] Constitution of India, arts. 14 and 21.
[2] Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, Act No. 46 of 2023, s. 479.
[3] Code of Criminal Procedure, 1973, Act No. 2 of 1974, s. 436A.
[4] Maneka Gandhi v Union of India, (1978) 1 SCC 248.
[5] Moti Ram v State of Madhya Pradesh, (1978) 4 SCC 47.
[6] Hussainara Khatoon v Home Secretary, State of Bihar, (1980) 1 SCC 81.
[7] Satender Kumar Antil v Central Bureau of Investigation, (2022) 10 SCC 51.
[8] Union of India v K.A. Najeeb, (2021) 3 SCC 713.
[9] Mohd Muslim @ Hussain v State (NCT of Delhi), Supreme Court of India, judgment dated 28 March 2023.
[10] In Re: Inhuman Conditions in 1382 Prisons, W.P. (C) No. 406 of 2013, Supreme Court of India, orders dated 23 August 2024, 22 October 2024 and 19 November 2024.

आधिकारिक सरकारी स्रोत

[11] India Code, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023: https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/20335/1/a2023-46.pdf
[12] Ministry of Home Affairs, 'New Criminal Laws': https://www.mha.gov.in/en/commoncontent/new-criminal-laws
[13] Ministry of Home Affairs, 'Prison Reforms' and advisories on section 479 BNSS: https://www.mha.gov.in/en/divisionofmha/Women_Safety_Division/prison-reforms
[14] Press Information Bureau, 'Release of Prolonged Under-Trial Prisoners', 2 April 2025: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2117796&lang=2&reg=3
[15] National Crime Records Bureau, Prison Statistics India 2023 (consult official publication and verify exact tables before inserting statistics): https://www.ncrb.gov.in/

सबमिशन से पहले अतिरिक्त शोध

[16] Retrieve and verify the complete text and neutral/citation references of all Supreme Court orders in In Re: Inhuman Conditions in 1382 Prisons.

[17] Check the current status of section 479 and any subsequent amendments or binding interpretations as of the submission date.

[18] Add recent peer-reviewed scholarship on undertrial detention, bail, prison overcrowding, and legal-aid delivery, following the target journal's citation style.

[19] If claiming state-level implementation outcomes, use official data and specify the reporting date, denominator, and methodology.

[20] Run a similarity check and ensure that the final text reflects the author's own critical engagement; similarity software is not a substitute for correct attribution.

लेखक की अंतिम जाँच-सूची

- Replace all author placeholders and add institutional details only if required.
- Confirm the target journal accepts bilingual papers; many journals require English-only manuscripts or a prescribed abstract format.
- Choose and consistently apply OSCOLA, Bluebook, ILI, or the journal's own citation style.
- Verify each case name, citation, date, paragraph number and statutory text against the official source.
- Update statistics and legal developments immediately before submission.
- Disclose any AI assistance if required by the journal's policy and ensure the author takes responsibility for the final manuscript.